



मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 10262 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/12 भोपाल, दिनांक 01 / 11 / 2012

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा-म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय:—महात्मा गांधी नरेगा लेबर बजट एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) की तैयारी वित्तीय वर्ष 2013-14 मार्गदर्शी निर्देश –मनरेगा साफ्टवेयर में प्रविष्टि।

संदर्भ:—विभाग का पत्र क्र.9720 / MGNREGS-MP/NR-10/MIS/12 दिनांक :15.10.2012

महात्मा गांधी नरेगा का लेबर बजट एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) की तैयारी वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये विभाग के संदर्भित पत्र से निर्देश जारी किये गये है। लेबर बजट की तैयारी ग्राम में उपलब्ध “एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन” (INRM) एप्रोच का ध्यान रखते हुये एवं अभिसरण के तहत किये जाने वाले कार्य यथा मर्यादा उपयोजना के तहत घरेलू शौचालय निर्माण, पंचपरमेश्वर से आंतरिक कांक्रीट सड़क, बी.आर.जी.एफ. से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन, नदी पुनर्जीवन आदि का समावेश कार्यों के चयन के समय रखे जाने का सुझाव है। जॉबकार्ड पंजी को अद्यतन करने एवं त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदित लेबर बजट एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट की मनरेगा साफ्टवेयर में प्रविष्टि करने हेतु आवश्यक परिपत्र तैयार कराये जाकर संलग्न किये गये है। इस प्रकार पूर्व में जारी निर्देशों के अनुक्रम में लेबर बजट एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) की तैयारी वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करते हुये मार्गदर्शी निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है।

1. लेबर बजट एवं शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता :

1.1 लेबर बजट: जैसा कि आपको विदित है, कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण जाबकार्डधारी परिवारों को आगामी वित्तीय वर्ष में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लेबर बजट भेजा जाना आवश्यक है जिसकी स्वीकृति उपरांत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु किशतों में राशि का आवंटन किया जाता है।

1.2 शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट: महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 में प्रावधानित कार्यों में से ग्राम की भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत ग्रामसभा द्वारा चयनित व अनुमोदित कार्यों की सूची त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसे जिले का वित्तीय वर्ष का शेल्व आफ प्रोजेक्ट कहा जाता है।

2. रणनीति :

2.1 एप्रोच : सहभागिता के आधार पर बाटम अप एप्रोच (ग्राम सभा से जिला पंचायत की सामान्य सभा) अपनाई जावे।

2.2 प्रशासनिक व्यवस्था :

a) जिला स्तर : जिले में लेबर बजट बनाने के लिये में एक प्रकोष्ठ गठित किया जाये। परियोजना अधिकारी एनआरईजीएस के नेतृत्व में इस कार्य के लिये एक दल गठित किया जाये एवं उन्हें इसकी जबावदेही सौपी जाये, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक से सभी आवश्यक अनुमोदन करायेगें।

b) जनपद स्तर : जनपद स्तर पर इसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को दी जावे। जो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग जिला स्तर से प्राप्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन एवं समन्वय सुनिश्चित करेगें।

c) ग्राम पंचायत स्तर : ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक कार्य बल (Task Force) का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगें :

- उपयंत्री
- ग्राम पंचायत सचिव
- ग्राम रोजगार सहायक

जिले में पदस्थ समस्त उपयंत्री जिनमें सभी लाइन डिपार्टमेंट के उपयंत्री हैं, उनकी सेवायें इस कार्य हेतु ले ली जावे। सर्वप्रथम प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। टास्क फोर्स दलों को लेबर बजट व एसओपी तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावे।

3 लेबर बजट के अवयव:

योजना का चरणवार क्रियान्वयन विगत 5-7 वर्ष से किया जा रहा है। अतः मौटे तौर पर ग्राम पंचायतवार संभावित रोजगार की माँग करने वाले जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या का आंकलन उपलब्ध होने के साथ-साथ ही माहवार संभावित रोजगार की माँग का पैटर्न भी ज्ञात है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लेबर बजट तैयार करने हेतु निम्न तीन बिन्दु जानना अत्यंत आवश्यक है:-

1. रोजगार हेतु संभावित माँग की मात्रा।
2. वित्तीय वर्ष में रोजगार की माँग का समय चक्र।
3. संभावित रोजगार की माँग की मात्रा के दृष्टिगत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में प्रावधानित कार्यों का चिन्हांकन।

आगामी वित्तीय वर्ष के लेबर बजट तैयार करने हेतु यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि रोजगार चाहने वाले परिवारों का प्राथमिकता से चिन्हांकन तथा चिन्हित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संभावित एजेंसियों का चयन एवं उनकी पूर्व तैयारी इस प्रकार से की जावे कि किसी भी परिस्थिति में रोजगार के अभाव में पलायन की स्थिति निर्मित न हो।

वित्तीय वर्ष हेतु लेबर बजट का विभिन्न स्तर जैसे ग्रामसभा, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत से अनुमोदन निर्धारित समयसारणी में किया जाना अनिवार्य है ताकि भारत सरकार के स्तर पर अनुमोदन एवं वांछित आवंटन सुनिश्चित कराया जा सके।

3.1 रोजगार की संभावित मांग की समयावधि के दृष्टिगत बेसलाइन सर्वे:
वित्तीय वर्ष में अकुशल कार्य हेतु अनुमानित रोजगार की मांग आंकलित करने हेतु जॉबकार्डधारियों का बेसलाइन सर्वे किया जाना होगा जिससे ग्राम पंचायत के प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार द्वारा की जा सकने वाली रोजगार की मांग एवं मांग की समयावधि का आंकलन हो सके।

3.1.1 सिद्धांत: लेबर बजट हेतु कार्यों के चयन में प्रमुख रूप से “एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन” (INRM) एप्रोच का ध्यान रखा जाना है। इस एप्रोच में जलग्रहण क्षेत्र विकास, सतही एवं भूजल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी हेतु नालियों का प्रबंधन, खेती का विकास और टिकाऊ अस्तियां जो स्थायी आजीविका के साधन के रूप में विकसित हों उनका निर्माण किया जाना है। प्रत्येक ग्राम की कार्ययोजना जलग्रहण क्षेत्र विकास पर आधारित होकर गतिविधियों का क्रमबद्ध निष्पादन (रिज-टू-वैली एप्रोच) किया जावे ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित हो सके। गांव के सकल रकबे की उत्पादकता में टिकाऊ वृद्धि तथा पानी की इष्टतम उपलब्धता के प्रयासों को प्राथमिकता दी जाना आवश्यक है साथ ही सामुदायिक/शासकीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास कर खेतीहर मजदूरों, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिये ग्राम में ही आजीविका के टिकाऊ एवं स्थायी अवसर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके अलावा मनरेगा की राशि के साथ अन्य योजनाओं की राशि के अभिसरण से अधोसंरचना एवं सामाजिक सरोकार के कार्य जो योजना के अंतर्गत अनुमत हैं एवं ग्राम विकास की अवधारणा के लिए आवश्यक हैं।

3.1.2 नियोजन की प्रक्रिया: एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु उपलब्ध संसाधन, संभावनाएँ तथा ग्रामीणों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। ग्राम में स्थित शासकीय/सामुदायिक तथा पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर संभावित लिये जा सकने वाले कार्यों के चिन्हांकन में ग्रामवासियों की आवश्यकता, उनके विचार, ग्राम की अधिकांश महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीब तबके के परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाना है।

3.1.3 कार्यों के चयन में विभिन्न हिताधारियों को (Stakeholders) को भागीदार बनाया जावे यथा

a) सक्रिय जाबकार्डधारी

b) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवार

- c) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार
- d) इंदिरा आवास के परिवार
- e) भूमि सुधार के परिवार
- f) लघु एवं सीमान्त कृषक (कृषि ऋण आधित्यजन और ऋण राहत स्कीम यथा पारिभाषित 2008)
- g) वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत हक प्रमाण पत्र धारक
- h) स्वसहायता समूह
- i) ग्राम उत्थान समितियां
- j) समेकित माइक्रो प्रोजेक्ट (IMP) के तहत अधिकृत एन.जी.ओ.।
- k) संयुक्त वन प्रबंधन समिति।
- l) जल उपभोक्ता संथा।

4 जॉबकार्ड पंजी अद्यतन करना:

4.1 अकार्यशील जाबकार्डधारियों के नाम पृथक करना एवं जाबकार्ड निरस्त करना :

- a) जिन परिवारों द्वारा विगत तीन वर्षों में योजना में कार्य (अकुशल श्रम) नहीं किया है।
- b) ऐसे परिवार या उनके किसी सदस्य विशेष के द्वारा आगे योजना में कार्य करने की कोई उम्मीद नहीं है।
- c) ऐसी महिलाये जिनका विवाह होने के कारण ग्राम में निवास नहीं करती।
- d) परिवार के वयस्क सदस्य को अन्यत्र जगह स्थायी रोजगार प्राप्त होने/नौकरी लग जाने या अन्य किसी कारणों से ग्राम में निवास नहीं करता।
- e) परिवार के किसी वयस्क सदस्य की मृत्यु हो गई हो। उक्त श्रेणी के परिवारों की सूची टास्क फोर्स दल द्वारा तैयार की जावे।

4.2 नवीन जाबकार्ड हेतु परिवारों का चिन्हांकन करना :

- a) ऐसे जाबकार्ड परिवार जिनके जाबकार्ड किसी कारण से अब तक नहीं बने है, परंतु वह योजना में कार्य करने के इच्छुक है तथा जाबकार्ड बनवाना चाहते है।

- b) ऐसे परिवार जिन्होंने योजना में कार्य किया है, उनके परिवार के सदस्य वयस्क होने से अपना नाम जाबकार्ड में जुड़वाना चाहते हैं।
- c) ऐसे परिवार जिनका विद्यटन होने से या शादी होने से पृथक जाबकार्ड बनवाना चाहते हैं।
- d) ऐसे परिवार जो अन्यत्र क्षेत्र से आकर ग्राम में निवासरत हो गये हैं, योजना में कार्य करने के इच्छुक हैं तथा अपना जाबकार्ड बनवाना चाहते हैं।
- e) ऐसे परिवारों का नाम यदि ग्राम की मतदाता सूची में शामिल हो गया है या उनके पास आधार कार्ड है, बीपीएल, अन्त्योदय या राशन कार्ड है।
उक्त श्रेणी के परिवारों की सूची टास्क फोर्स दल द्वारा तैयार की जावे।
- 4.3** टास्क फोर्स दल के सदस्यों द्वारा 4.1 एवं 4.2 में बतलाई गई प्रक्रिया के अनुसार जाबकार्ड निरस्त करने, जाबकार्ड से नाम विलोपित करने, नवीन जाबकार्ड तैयार करना, जाबकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ना एवं स्पेशल जाबकार्ड बनाये जाने हेतु पृथक-पृथक सूची तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत जाबकार्ड पंजी को सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन किया जावेगा।
- 4.4** जाबकार्ड पंजी को अद्यतन करते समय प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य का मोबाइल नंबर, मतदाता सूची क्रमांक, आधार क्रमांक, बीपीएल क्रमांक, अन्त्योदय क्रमांक राशन कार्ड क्रमांक, ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी जानकारी उपलब्ध हो उसे अंकित किया जावेगा।
- 4.5** जाबकार्डधारी परिवार या उसका कोई वयस्क सदस्य विकलांग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो, तब वह किस कारण से विकलांग की श्रेणी में है। जाबकार्ड पंजी में अंकित किया जावेगा। इसके अलावा प्रीमीटिव आदिवासी समूह यथा बैगा, सहरिया, घुम्मकड़ आदिवासी समूह यथा बंजारा, कंजर एवं गैर अधिसूचित आदिवासी, विशेष श्रेणी की महिलायें यथा विधवा, परित्यक्त्या, गर्भवती महिलाये एवं ऐसी महिलाये जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं (बच्चे के जन्म के आठ माह पूर्व से जन्म के दस माह बाद तक), वरिष्ठ नागरिक एवं आंतरिक विस्थापित परिवार होने पर जाबकार्ड पंजी में उनके नाम के साथ वह जिस श्रेणी में आते हो, यह स्पष्ट अंकित किया जावे।

- 4.6 एनआरईजीए पोर्टल के होम पेज <http://nrega.nic.in> पर जाबकार्ड HyperLink पर वित्तीय वर्षवार जाबकार्डधारियों की सूची में जिनके द्वारा कार्य किया गया है, ऐसे सक्रिय परिवारों को हरे एवं पीले रंग से चिन्हित किया गया है। जिनके द्वारा “कार्य नहीं” किया गया है ऐसे परिवारों को भूरे (स्लेटी) एवं लाल रंग से चिन्हित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जिन जाबकार्डधारी परिवारों ने वित्तीय वर्ष में कोई कार्य नहीं किया है। उनकी सूची पृथक से भी नरेगा साफ्ट में दी गई है। जो निम्नानुसार प्रक्रिया से प्राप्त की जा सकेगी :

<http://nrega.nic.in>



Report from MIS Option



Report from Financial Year



Employment Section → Job Card not in Used



M.P



District



Block



G.P.

जाबकार्ड पंजी अद्यतन करने हेतु टास्क फोर्स दल को कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा वित्तीय वर्षवार जाबकार्डधारियों की ग्राम/ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध कराई जावे।

- 4.7 टास्क फोर्स दल द्वारा अद्यतन की गई जाबकार्ड पंजी में दिनांक सहित हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत सचिव को एनआरईजीए साफ्टवेयर में डाटा बेस अद्यतन कराये जाने हेतु सौंपी जावेगी। जनपद पंचायत में डाटा बेस अद्यतन कराये जाने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत सचिव/पंचायतकर्मी का रहेगा। नवनियुक्त रोजगार सहायक इस कार्य में ग्राम पंचायत के सचिव के सहयोगी के रूप में

कार्य करेंगे। एनआरईजीए साफ्टवेयर के माध्यम से जाबकार्ड अद्यतन करने के संबंध में मार्गदर्शन एमआईएस प्रशिक्षण मेन्युअल में दिया गया है, जो **परिशिष्ट-1 संलग्न है।**

5. ट्रांजिट वॉक :-

- 5.1 ट्रांजिट वॉक हेतु टॉस्क फोर्स जिसमें उपयंत्री, सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच/पंच के साथ योजनांतर्गत पात्र स्टेकहोल्डर (अनुसूचित जाति/जनजाति, बी.पी.एल. परिवार, इंदिरा आवास तथा भूमि सुधार के लाभांवित हितग्राही, लघु एवं सीमांत कृषक) इत्यादि को सम्मिलित अनिवार्यतः सम्मिलित किया जावे।
- 5.2 ट्रांजिट वॉक के दौरान लगने वाली समस्त सामग्री जैसे कम्प्यूटाईज्ड पटवारी नक्शा, टेप, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्कैच पेन इत्यादि की पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। उपयंत्री के पास क्षेत्र की टोपोशीट उपलब्ध हो, यह और अधिक उपयोगी होगा।
- 5.3 ग्राम का नक्शा (पटवारी नक्शा, जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक ग्राम का डिजिटाइज्ड खसरा नक्शा की प्रति उपलब्ध कराई जावे)।
- 5.4 सर्वप्रथम नक्शे पर टास्कफोर्स दल द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की अद्यतन सूची के आधार पर ग्रामवासियों के सहयोग से बड़े सफेद कागज ए-3 साइज पर योजनान्तर्गत पूर्ण/अपूर्ण /अप्रारंभ एवं नवीन प्रस्तावित कार्यों का चिन्हांकन करते हुए फ्री स्केल मेप बनाया जावे। ट्रांजिट वाक के दौरान कार्यों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर लिया जावे इसके बाद डिजिटाइज्ड पटवारी मेप पर चिन्हित किया जावे। पूर्ण कार्यों को हरा रंग, अपूर्ण कार्यों को लाल रंग तथा स्वीकृत किन्तु अप्रारंभ कार्यों को नीले रंग के स्केच पेन से दर्शाया जावे एवं नवीन कार्यों को बैंगनी रंग से चिन्हित किया जावे।
- 5.5 ट्रांजिट वॉक रूट नक्शे के आधार पर निर्धारित किया जावे।

- 5.6 ग्राम की सीमा में बहने वाले नदी नालों तथा ड्रेनेज पैटर्न को नक्शे पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जावे ताकि जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लिये जा सकने वाले स्थलों की पहचान की जा सके।
- 5.7 खसरा नक्शे पर पूर्व चिन्हित पूर्ण, अपूर्ण तथा स्वीकृत किन्तु अप्रारंभ कार्यों की स्थिति का सत्यापन किया जावे।
- 5.8 यदि कोई कार्य कारणवश या विवाद होने से लंबी अवधि से अपूर्ण है तो ऐसे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जा सकने के उपायों पर भी चर्चा की जावे।
- 5.9 ट्रांजिट वॉक के दौरान शासकीय तथा पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर लिये जा सकने वाले नवीन कार्यों का चिन्हांकन किया जाकर नक्शे में अंकित किया जावे।
- 5.10 पात्र हितग्राही की निजी भूमि पर ली जा सकने वाली संरचना का निर्धारण अनुमानित लागत तथा हितग्राही की सहमति भी दल द्वारा प्राप्त की जावे।
- 5.11 वॉक के दौरान उपयंत्री द्वारा एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता तथा ग्राम की पूर्व एवं वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप संभावित उपचार कार्यों पर भी चर्चा कर ग्राम के सर्वांगीण विकास की अवधारणा से अवगत कराया जावे।
- 5.12 महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अपेक्षित परिणाम/लाभ की स्थिति का भी आंकलन उपयोगकर्ता दलों/हितग्राही से करते हुये उत्कृष्ट कार्यों की प्राथमिकता पर भी सुझाव प्राप्त करें।
- 5.13 महात्मा गांधी नरेगा-2 अनुसार नवीन प्रावधानित कार्यों की विशेष रूप से दल को जानकारी वॉक के दौरान दी जावे।
- 5.14 निर्मित जल संरचनाओं में संग्रहित जल को सिंचाई हेतु पात्र हितग्राहियों के खेतों तक नहर एवं वॉटरकोर्स के माध्यम से लिये जा सकने की परिस्थिति के दृष्टिगत भी योजना प्रावधान की जानकारी देंगे।
- 5.15 ग्राम में उपलब्ध पड़त भूमि के विकास की संभावित परिस्थिति का आंकलन कर भूमिहीन परिवारों/स्व सहायता समूहों के माध्यम से

आजीविका गतिविधियों का चिन्हांकन एवं संधारण की स्थिति पर विचार विमर्श करेंगे।

5.16 अभिसरण (Convergence) से कराये जाने वाले कार्य जैसे मर्यादा अभियान, पंच परमेश्वर से आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क, बी.आर.जी. एफ. से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन, नदी पुनर्जीवन, वृक्षारोपण इत्यादि योजना उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों की जानकारी देते हुये सहमति उपरांत नवीन कार्यों में सम्मिलित किया जावे।

5.17 ट्रांजिट वॉक के आउटकम के रूप में पटवारी नक्शे पर लेबर बजट हेतु प्रस्तावित कार्यों के “एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन” के पूर्व की स्थिति व प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन उपरान्त तुलनात्मक स्थिति नक्शे पर प्रदर्शित की जावे। नक्शे पर तालिका अंकित कर प्राक्कलित लाभ के आंकड़े भी दर्शाये जावें।

उपरोक्तानुसार गतिविधि के उपरांत ग्राम के समग्र विकास हेतु चिन्हित नवीन कार्यों को सूचीबद्ध करते हुये अद्यतन स्वीकृत कार्यों की दल द्वारा पाई गई स्थिति का सम्पूर्ण ब्यौरा प्रक्रिया तथा उद्देश्यों के सहित ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ग्रामसभा में ग्राम के चिन्हित नक्शे को भी ग्रामीणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जावे। ग्रामसभा में प्राप्त अन्य व्यवहारिक सुझावों का भी परीक्षण किया जाकर ग्रामसभा के अनुमोदन अनुसार प्लान में सम्मिलित किया जावे।

6 मानव दिवस की गणना:

6.1 भारत सरकार के नरेगा साफ्ट में दिए गए लेबर बजट के प्रपत्र जिसमें पूरे जिले का आगामी वित्तीय वर्ष का(2013-14) का माहवार लेबर बजट तैयार किया जाना है एवं जिला पंचायत के अनुमोदन उपरांत अपलोड किया जाना है। इस प्रपत्र के आधार पर ही प्रत्येक ग्राम, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं पूरे जिले का लेबर बजट तैयार किया जाना है। प्रपत्र की हार्डकॉपी प्रपत्र-1 संलग्न है।

- 6.2 अद्यतन जॉबकार्ड पंजी में सक्रिय जॉबकार्डधारियों की संख्या में प्रत्येक परिवार हेतु 100 दिवस का गुणा कर ग्राम में सृजित होने वाले कुल मानव दिवस की गणना की जावे। उदाहरणस्वरूप ग्राम में 225 जॉबकार्डधारियों में से विगत वर्षों में कार्य करने वाले 180 जॉबकार्डधारी परिवार ही होने पर पूरे वित्तीय वर्ष में कुल मानव दिवस 18000 सृजित होंगे।
- 6.3 कुल सृजित मानव दिवस में ग्राम में खेती का सीजन, शादी-ब्याह का सीजन, स्थानीय मेला, त्यौहार एवं बरसात के दिनों को संज्ञान में लेते हुये पूरे वर्ष हेतु प्राक्कलित मानव दिवसों को माहवार विभाजित करना एवं प्रत्येक तिमाही में मानव दिवसों की गणना का आंकलन करें। प्राक्कलित मानव दिवस संख्या में वर्तमान में लागू मजदूरी की दर 132/- रू. प्रति दिवस से गुणा करने पर कुल मजदूरी की राशि की गणना की जावे तथा 88/-रू. प्रति मानव दिवस से गुणा करने पर सामग्री मद की कुल राशि की गणना की जा सकेगी।
- 6.4 ग्राम के लेबर बजट की माहवार गणना का प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 3, 4, 5 व 6 की जानकारी बिन्दु क्रमांक-6.2 एवं 6.3 में दर्शायी गई प्रक्रिया के आधार पर टास्कफोर्स दल द्वारा भरी जा सकेगी। इस प्रकार ग्राम का पूरे वित्तीय वर्ष का लेबर बजट संलग्न प्रपत्र-1 में तैयार हो जाएगा। ग्राम पंचायत के आश्रित सभी ग्रामों के लेबर बजट को संकलित करने पर ग्राम पंचायत का लेबर बजट तैयार हो जाएगा।

7 शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) निर्माण :-

- 7.1 लेबर बजट के आधार पर संभावित रोजगार की माँग प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित होती है। लेबर बजट अनुसार सृजित हो सकने वाले मानव दिवस संख्या को ध्यान में रखते हुये हमें ग्राम पंचायत के शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना होगा। शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करने में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा :-
- a) सर्वप्रथम गत वर्ष के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने की प्राथमिकता।

- b) अपूर्ण कार्यों से कार्यवार सृजित हो सकने वाले मानव दिवस का आंकलन।
- i) वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्व के कार्य जो दिनांक 01.04.2012 तक अपूर्ण है, उनका विवरण संलग्न प्रपत्र-02 में टॉस्क फोर्स दल द्वारा तैयार की जावे।
 - ii) वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारंभ किये गये नवीन कार्यों की संख्या की जानकारी संलग्न प्रपत्र-03 में टॉस्क फोर्स दल द्वारा तैयार की जावे।
 - iii) वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारंभ परन्तु आगमी वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रगतिरत् रहने वाले संभावित कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-04 में टॉस्क फोर्स दल द्वारा तैयार की जावे।
- c) लेबर बजट अनुसार संभावित सृजित होने वाले मानव दिवस में से अपूर्ण कार्यों से सृजित होने वाले मानव दिवस को घटाकर शेष मानव दिवस सृजन हेतु नवीन कार्यों का चयन। वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नवीन कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-05 में टॉस्क फोर्स दल द्वारा तैयार की जावे।
- d) प्रत्येक चयनित नवीन कार्य हेतु एम.आई.एस. में अपलोडिंग के समय वांछित जानकारी संलग्न कम्प्यूटराइज्ड प्रपत्रों(कुल 20 प्रपत्र) अनुसार टास्कफोर्स दल द्वारा तैयार की जावे।
- e) स्वीकृत किन्तु अप्रारंभ कार्यों के कारणों को ज्ञात कर उनको प्रारंभ कराया जाना।
- f) नवीन कार्यों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण।
- g) प्राथमिकता निर्धारण में जलग्रहण अवधारणा के अनुसार एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों का चिन्हांकन।
- h) अभिसरण (Convergence) से कराये जाने वाले मनरेगा में अनुमत कार्य जैसे मर्यादा अभियान, पंच परमेश्वर से आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क, बी. आर.जी.एफ. से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन, नदी पुनर्जीवन इत्यादि।
- i) जनपद स्तर : दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत के मध्य कार्यों का समावेश : जनपद सदस्यों या ग्राम पंचायत से प्राप्त ऐसे कार्य जो उसी

ब्लाक की दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों में होंगे। उसे जनपद की साधारण सभा अनुमोदित करेगी। कार्य के प्राक्कलन सहायक यंत्री/संबंधित शासकीय विभाग के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

- j) **जिला स्तर** : दो या दो से अधिक जनपद पंचायत के कार्यों को जिला पंचायत की साधारण सभा अनुमोदित करेगी। कार्य के प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/संबंधित शासकीय विभाग के समकक्ष अधिकारी द्वारा बनाये जायेंगे।
- k) अकुशल श्रम मूलक कार्यों को प्राथमिकता।
- l) ट्रांजिट वॉक दल द्वारा दिये गये सुझावानुसार कार्यों की प्राथमिकता।
- m) भारत सरकार एवं राज्य शासन स्तर से निर्धारित प्राथमिकता अनुसार कार्यों को वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जाना।
- n) वर्ष में प्रत्येक सीजन अनुसार रोजगार की माँग के दृष्टिगत हर प्रकृति के कार्यों का कार्ययोजना में सम्मिलित होना।

7.2 हितग्राहीमूलक कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण :

- a) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवेदक: क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य श्रेणी के आवेदक।
- b) गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले आवेदक: क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति।
- c) इंदिरा आवास के ऐसे हितग्राही जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते।
- d) भूमि सुधार के ऐसे हितग्राही जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते।
- e) वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत हक प्रमाण पत्र धारक जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते।
- f) लघु व सीमान्त कृषक (कृषि ऋण आधित्यजन और ऋण राहत स्कीम यथा पारिभाषित 2008)
- g) वार्षिक कार्ययोजना में कार्यों की संख्या एवं प्रकार का चयन इस प्रकार हो कि संभावित लेबर बजट से 150 प्रतिशत मानव दिवस रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हों।

- h) शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार पूर्ण कराई जावें।

7.3 शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) में सम्मिलित कार्यों का तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

- a) ट्रांजिट वाक के उपरांत उपयंत्री द्वारा मौके पर सभी माप लेकर ही प्राक्कलन तैयार किये जाए। मानक प्राक्कलन को मात्र सांकेतिक ही माना जाए। कार्य के प्राक्कलन फोटोकापी के रूप में मान्य नहीं होंगे। वृक्षारोपण/फलोद्यान के ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाने वाले कार्यों के प्राक्कलन संबंधित विभाग के तकनीकी अमले की सहायता से उपयंत्री द्वारा ही तैयार किए जा सकेंगे।
- b) ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन जिला दर अनुसूची जो 1 अप्रैल 2012 के बाद जारी हुई हो, के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये जाए। प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन में निम्न जानकारी अनिवार्यतः दर्शाई जावे :
- (i). मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की स्थिति
 - (ii). कार्य में सृजित होने वाले मानव दिवस
 - (iii). कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की संभावित दिनांक
 - (iv). स्थल का चयन
 - (v). भूमि की उपलब्धता
 - (vi). माप के आधार पर
 - (vii). कार्य की उपयोगिता जैसे :
 - सड़क निर्माण : सड़क की लंबाई, पुल-पुलियों की संख्या सहित, सड़क से जुड़ने वाले ग्राम, उनकी जनसंख्या का विवरण दिया जाना होगा।

- **सिंचाई कूप निर्माण** : सिंचित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में एवं कृषि उपज उत्पादन में वृद्धि की मात्रा प्रति हेक्टेयर एवं अनुमानित राशि।
 - **स्टापडेम निर्माण** : सिंचित होने वाली भूमि का क्षेत्र लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या एवं कृषि उपज में वृद्धि की मात्रा एवं अनुमानित राशि।
 - **भूमि का विवरण** : सार्वजनिक भूमि अथवा निजी, भूमि का खसरा भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में।
 - **कार्य स्थल की लोकेशन** : कार्य की लोकेशन का विवरण भी तकनीकी प्रतिवेदन में दिया जाना अनिवार्य रहेगा।
- c) कार्यों के प्राक्कलन मय तकनीकी प्रतिवेदन सहित संधारित करते हुये ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों के सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।
- d) तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद कार्यों की वास्तविक लागत के साथ सूची ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु रखी जाए।
- e) जिला एवं जनपद स्तर से सुझाये गये कार्यों का ग्राम पंचायत के लेबर बजट में मानव दिवस की मांग के परिप्रेक्ष्य में टास्क फोर्स द्वारा परीक्षण कर ग्राम सभा के समक्ष रखी जाने वाली कार्यों की सूची में शामिल कर अनुमोदित कराया जावे।
- f) **प्रशासकीय स्वीकृति**: कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

7.4 शेल्व आफ प्रोजेक्ट का नरेगा साफ्ट में संकलन :

एनआरईजीए पोर्टल <http://nrega.nic.in> लेबर बजट के वर्क प्रोजेक्शन का प्रपत्र दिया गया है। प्रपत्र की हार्डकॉपी **प्रपत्र-06** में संलग्न है। प्रपत्र में भरी जाने वाली जानकारी के प्रत्येक कॉलम का विवरण निम्नानुसार है :

- a) कॉलम क्रमांक-01 :- रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक कार्य योजना (शेल्व आफ वर्क) अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्यों का विवरण।

- b) कॉलम क्रमांक-02 :- वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्व के कार्यों की संख्या जो दिनांक 1.4.2012 तक अपूर्ण कार्य। **(प्रपत्र- 2 टास्कफोर्स दल द्वारा भरा जावे)**
- c) कॉलम क्रमांक-03 :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारंभ किये गये नवीन कार्यों की संख्या। **(प्रपत्र- 3 से टास्कफोर्स दल द्वारा कॉलम 3 की जानकारी भरी जावे)**
- d) कॉलम क्रमांक-04 :- वित्तीय वर्ष 2012-13 से आगामी वित्तीय वर्ष में प्रगतिरत रहने वाले संभावित कार्यों की संख्या। **(प्रपत्र-4 से टास्कफोर्स दल द्वारा कॉलम 4 की जानकारी भरी जावे)**
- e) कॉलम क्रमांक-05 :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नवीन कार्यों की संख्या। **(प्रपत्र- 5 से टास्कफोर्स दल द्वारा कॉलम 5 की जानकारी भरी जावे)**
- f) कॉलम क्रमांक-06 :- लाभान्वित कार्य क्षेत्र (इकाई में)
- g) कॉलम क्रमांक-07 :- कालम नं. 4 तथा 5 में उल्लेखित कार्यों से सृजित होने वाले संभावित मानव दिवस के आधार पर भरी जावे। **(प्रपत्र 4 एवं 5 के आधार पर टास्कफोर्स दल द्वारा कॉलम क्रमांक 07 की जानकारी भरी जावे)**
- h) कॉलम क्रमांक-08 :- अकुशल मजदूरी भुगतान। **(प्रपत्र 4 एवं 5 के आधार पर टास्कफोर्स दल द्वारा कॉलम क्रमांक 08 की जानकारी भरी जावे)**
- i) कॉलम क्रमांक-09 :- अर्द्धकुशल सहित सामग्री मद पर संभावित व्यय। **(प्रपत्र 4 एवं 5 के आधार पर टास्कफोर्स दल द्वारा कॉलम क्रमांक 09 की जानकारी भरी जावे)**

वर्क प्रोजेक्शन में लिये जाने वाले कुल कार्यों के लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा संपादित कराये जाने है। अतः कार्यों के चयन में इस मापदंड का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। मनरेगा योजना के तहत लिये जाने वाले अनुमत कार्य श्रेणीवार – कार्यों के नाम, कार्यों को संपादित कराये जाने हेतु संभावित उपयुक्त सीजन सहित सूची **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

प्रपत्र 6 में अनुमत कार्यों की विभिन्न श्रेणीवार लिये जाने वाले कार्यों के टास्क फोर्स द्वारा सर्वेक्षण के दौरान जिन प्रपत्रों को भरा जाना है, उनका विवरण दिया गया है। इन प्रपत्रों की जानकारी के आधार पर कार्यों में लगने वाले प्राक्कलित मानव दिवस अकुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल, कुशल सहित सामग्री मद में संभावित व्यय की जानकारी तैयार की जा सकेगी। इस जानकारी के आधार पर शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट में लिये जाने वाले कार्यों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु तैयार हो सकेगी। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर प्रत्येक कार्य का कम्प्यूटर में डाटा बेस इन्ही प्रपत्रों की प्रविष्टि के आधार पर तैयार कराया जा सकेगा। जनपद स्तर पर सहायक यंत्री के निर्देशन में डाटा बेस तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित उपयंत्री का रहेगा।

8. लेबर बजट एवं शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) का अनुमोदन :

8.1 ग्राम स्तर:

- a) जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा जो कार्य प्रस्तावित किये गये हैं, उन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। संबंधित ग्राम सभा से अनुमोदन न होने पर उक्त कार्य नहीं किया जा सकेगा।
- b) टॉस्क फोर्स दल द्वारा ग्राम का तैयार किया गया लेबर बजट प्रपत्र-01 एवं शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) प्रपत्र-06 में ग्रामसभा के समक्ष अनुमोदन के विचार हेतु रखा जावेगा। ग्रामसभा द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार आवश्यक होने पर संशोधन/परिवर्तन कर अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

8.2 ग्राम पंचायत स्तर :

ग्राम पंचायत में सम्मिलित सभी ग्रामों की ग्रामसभाओं द्वारा अनुमोदित लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) का ग्राम पंचायत द्वारा संकलन जावेगा, जो ग्राम पंचायत का लेबर बजट एवं शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) कहलावेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र के साथ प्रस्ताव जनपद पंचायत के अनुमोदन हेतु निम्न दस्तावेजों के साथ भेजे जावे :

- लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2013-14
- नक्शा जिसमें अंतिम रूप से चिन्हित कार्य अंकित होंगे।
- कार्यों की सूची मय लागत के
- कार्य क्रियान्वयन की समय सारणी

8.2.1 ग्राम सभा में विवाद की स्थिति में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम सभा अधिनियम 1993 की टिप्पणी धारा 6 की कंडिका (9) एवं (10) में दी गई व्यवस्था के अनुसार

- A. ग्राम सभाओं के बीच पैदा होता है, दो ग्रामों की या अधिक ग्रामों की ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद पैदा होता है या
- B. ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट (आने वाली) एक से अधिक ग्राम सभाओं से संबंधित कोई मामले उठते हैं ओर
- C. धारा 7 की उपधारा (2) में बताये गये समस्त मामले

उस ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं के इकट्ठे मिले जुले (संयुक्त) सम्मिलन के सामने लाये जायेंगे। धारा 6 की क्रमांक 8 की समीक्षा में जो विवादों का प्रकार या स्वरूप बताया गया है वे विवाद धारा 6 की उपधारा (5) में बताये अनुसार निपटाये जायेंगे। (10) संयुक्त सम्मिलन में जो भी विवाद का विनिश्चय फैसला निर्णय होगा। वह विनिश्चय हर एक ग्राम सभा ने किया है—ऐसा माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर विवाद का निराकरण किया जाए।

8.3 जनपद स्तर: ग्राम पंचायतों से अनुमोदित लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट का संकलन कर एवं प्रस्तावित सभी कार्य मनरेगा अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी में हैं इसका परीक्षण कर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष जनपद स्तरीय लेबर बजट और शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु रखा जावेगा। नियत अवधि में अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में प्रस्ताव अनुमोदित मानकर जिला पंचायत में सभी अभिलेखों व दस्तावेजों सहित भेजा जावे।

8.4 जिला स्तर: जनपद पंचायतों से अनुमोदित लेबर बजट एवं शैल्फ आफ प्रोजेक्ट का संकलन कर एवं प्रस्तावित सभी कार्य मनरेगा अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी में हैं इसका परीक्षण कर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष जिला स्तरीय लेबर बजट और शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु रखा जावेगा। नियत अवधि में अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में प्रस्ताव अनुमोदित मान्य किया जावे।

8.5 अंतिम रूप से अनुमोदित जिले के लेबर बजट प्रपत्र-01 एवं शैल्फ आफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) प्रपत्र-06 को समस्त अनुलग्नकों व चयनित कार्यों की सूची सहित "अनुमोदित" सील व अनुमोदन का दिनांक अंकित कर संबंधित जनपद पंचायत को 31 दिसंबर 2012 तक अनिवार्यतः भेजा जावे।

9. समय सारणी :

स. क.	लेबर बजट हेतु गतिविधि	भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा	विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा
1	जिला स्तरीय लेबर बजट प्रकोष्ठ का गठन, ग्राम पंचायत हेतु टास्क फोर्स का गठन एवं जनपद स्तरीय दल गठित कर आवश्यक निर्देश जारी करना। टास्क फोर्स के गठन के आदेश के साथ ही जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक ग्राम का पटवारी नक्शा डिजिटाइज्ड मैप उपलब्ध कराया जावे।	—	यह गतिविधि सभी जिलों द्वारा पूर्ण कर ली गई होगी।
2	लेबर बजट एवं शैल्फ आफ प्रोजेक्ट को तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण: 1.राज्यस्तर – जिलास्तर के अधिकारियों को 2.जिलास्तर– जनपद स्तर के अधिकारियों को 3.जनपदस्तर–ग्राम पंचायत/टास्कफोर्स दल के सदस्यों को	—	—02 नवम्बर12 —05 नवम्बर 12 —07/08 नवम्बर 2012
3	1. बेसलाइन सर्वे के आधार पर टास्कफोर्स दल द्वारा जॉबकार्ड पंजी अद्यतन करना। 2. ट्रांजिट वाक कर प्रत्येक ग्राम पंचायत का लेबर बजट एवं शैल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार कर कार्यों की सूची मय लागत सहित ग्राम सभा में प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना। ग्राम पंचायत के आश्रित ग्रामों की जानकारी संकलित कर ग्राम पंचायत की सामान्य सभा की अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत को भेजना।	—	—15 नवम्बर 12 —27 नवम्बर 12
4	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायतों से अनुमोदित लेबर बजट एवं शैल्फ आफ प्रोजेक्ट की जानकारी संकलित कर उसका जनपद स्तर पर परीक्षण करना। जनपद पंचायत की सामान्य सभा में लेबर बजट एवं शैल्फ आफ प्रोजेक्ट अनुमोदित कराना। 	नवम्बर तक तृतीय सप्ताह	—30 नवम्बर 12 —06 दिसंबर 12

स. क्र.	लेबर बजट हेतु गतिविधि	भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा	विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा
5	<ul style="list-style-type: none"> जनपद पंचायतों से अनुमोदित लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट का की जानकारी संकलित कर उसका जिला पंचायत स्तर पर परीक्षण करना। जिला पंचायत की सामान्य सभा में लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देकर अनुमोदित कराना। 	दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह	-17दिसंबर 12 -26दिसंबर 12
6	जिला पंचायत से अनुमोदित लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट का जनपद स्तर पर कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटिजेशन करना।	—	10 जनवरी 13
7	प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्र में स्वीकृत लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट की हार्ड कापी उपलब्ध कराई जावे।	—	15 जनवरी 13
8	कम्प्यूटराइज्ड लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट पूरे जिले का संकलित कर राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेजा जावे।	—	15 जनवरी 13

10. पर्यवेक्षण:

जनपद स्तर पर उपयंत्रियों का कार्यक्षेत्र, ग्राम पंचायतों के समूह को सेक्टर के रूप में गठित कर किया गया है। अतएव कई सेक्टर मिलाकर कार्य का पर्यवेक्षण कराया जावे। इस हेतु जिले में पदस्थ विभिन्न विभागों की सहायक यंत्रियों/समकक्ष अधिकारियों की सेवायें ले ली जावे। जिला स्तर पर इस कार्य के पर्यवेक्षण का दायित्व प्रभारी लेबर बजट प्रकोष्ठ का रहेगा। जिसकी नियमित समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा की जावेगी।

11. कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटिजेशन:

जिला पंचायत से अनुमोदित लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट का कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटिजेशन जनपद स्तर पर किया जावे।

11.1 प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्र में स्वीकृत लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट की हार्ड कापी उपलब्ध कराई जावे।

11.2 कम्प्यूटराइज्ड लेबर बजट एवं शेल्व आफ प्रोजेक्ट पूरे जिले का संकलित कर राज्य रोजगार गारंटी परिषद को निर्धारित समय-सीमा में भेजा जावे।

12. प्रशासकीय व्यय की राशि का समावेश :

जिलों से प्राप्त लेबर बजट का संकलन राज्य स्तर पर परिषद की वित्त शाखा द्वारा किया जावेगा एवं निर्धारित प्रशासकीय व्यय की 6

प्रतिशत राशि का समावेश किया जाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

13. प्रचार-प्रसार:

जॉबकार्ड पंजी अद्यतन कराये जाने, मनरेगा के तहत अब तक संपादित कार्यों से लाभ, अपूर्ण कार्यों एवं प्रस्तावित नवीन कार्य से ग्रामवासियों को रोजगार के साथ-साथ ग्राम विकास हेतु की जा रही कार्यवाही का भरपूर प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। अतः लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार किए जाने का ग्राम पंचायत के आश्रित सभी ग्रामों में ग्राम कोटवार, ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्डों के सदस्य, निगरानी समिति के सदस्य व अन्य प्रावधानित माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया जावे।

14. प्रक्रिया अथवा समय-सीमा का अनुपालन न करने के परिणाम :

अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुमोदन कम अलग-अलग स्तरों के बीच समयबद्ध समन्वय को आवश्यक बनाता है ताकि अधिनियम की भावना और आशय बरकरार रहे, विशेषकर कार्यों की प्राथमिकता को बनाए रखने के मामले में। इसलिये कानूनी तौर पर यह जरूरी है कि विकास योजना के अनुमोदन में किसी भी स्तर पर कोई विलंब न हो और साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि ग्राम सभा की प्राथमिकताओं को बरकरार रखा जाए। अनुमोदित परियोजना सूची होने से रोजगार की मांग को पूरा करने की गति पभावित होती है। विकास योजना को अंतिम रूप देने में विलंब होने से प्रस्तुत किए गए श्रम बजट पर चर्चा करने में विलंब होगा जिसके परिणामस्वरूप राज्यों/जिलों को निधि प्रदाय करने और उन्हें निधि प्राप्त होने में दिक्कत होगी क्योंकि राज्य/जिले की वित्तीय जरूरतों का आंकलन सहमत श्रम बजट के माध्यम से किया जाता है और वित्त वर्ष की समाप्ति पर खर्च न की गई शेष राशि को समायोजित करने के बाद राज्य/जिले को केन्द्रीय अंश/अग्रिम राशि प्रदाय की जाती है।

(अरुणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
10. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्यप्रदेश।
11. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
12. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

कृपया अपने स्तर पर ग्राम पंचायतों, सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को इस परिपत्र के बारे में अवगत करावे।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

लेबर बजट प्रपत्र(वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु)

ग्राम

जनपद पंचायत

ग्राम पंचायत

जिला

क्रमांक	माह	अनुमानित परिवार, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में रोजगार दिया जाना है (संख्या)	आगामी वर्ष में अनुमानित मानव दिवस (संख्या)	आगामी वर्ष में अनुमानित मजदूरी की राशि 132/- रु. प्रति मानव दिवस (रु. लाख में) कॉलम क्र. 4 X 132/-	आगामी वर्ष में अनुमानित सामग्री मद की राशि 88/-रु. प्रति मानव दिवस (रु. लाख में) कॉलम क्र. 4 X 88/-
1	2	3	4	5	6
1	अप्रैल				
2	मई				
3	जून				
4	जुलाई				
5	अगस्त				
6	सितम्बर				
7	अक्टूबर				
8	नवम्बर				
9	दिसम्बर				
10	जनवरी				
11	फरवरी				
12	मार्च				

नोट: सभी कॉलम में आंकड़े संबंधित माह तक(Cumulative) भरे जावे।

ग्राम रोजगार सहायक

सचिव, ग्राम पंचायत

उपयंत्री

अपूर्ण कार्य- वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्व स्वीकृत

ग्राम
ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत
जिला

(गाइडलाइन के वर्क प्रोजेक्शन प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 2 की जानकारी हेतु)

क्रमांक	श्रेणीवार अपूर्ण कार्यों के नाम	स्वीकृत लागत	मूल्यांकित व्यय	स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार मानव दिवस संख्या	वास्तविक सृजित मानव दिवस संख्या	कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले प्राक्कलित मानव दिवस संख्या	कार्य 31 मार्च 2013 के पूर्व पूर्ण किया जाकर सी.सी. जारी की संभावना है या नहीं	क्र.-8 के अनुसार कार्य पूर्ण होना सभावित मानव नहीं होने पर आगामी वर्ष में कार्य को पूर्ण कराने में प्राक्कलित मानव दिवस	मजदूरी दर रु. 132/- के मान से कुल मजदूरी	क्र.-8 अनुसार कार्य को पूर्ण करने हेतु सामग्री दर की राशि (अर्द्धकुशल/कुशल व सामग्री)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

ग्राम रोजगार सहायक

सचिव ग्राम पंचायत

उपयंत्री

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के नवीन स्वीकृत कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु

ग्राम जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत जिला

(गाइडलाइन के वर्क प्रोजेक्शन प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 3 की जानकारी हेतु)

क्रमांक	भूमि का स्वामित्व	खसरा नंबर	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि का प्रकार (सार्वजनिक या निजी हितग्राही)	भौतिक विवरण (7)			वित्तीय विवरण, प्राक्कलित लागत (राशि रु. लाख में) (8)	
						कार्य की प्राक्कलित मात्रा (क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/कि.मी.)	प्राक्कलित मानव दिवस संख्या	संभावित लाभ	अकुशल मजदूरी मद में	सामग्री मद में
1	2	3	4	5	6	7(i)	7(ii)	7(iii)	8(i)	8(ii)
1										
2										
3										
4										
5										

ग्राम रोजगार सहायक

सचिव ग्राम पंचायत

उपयंत्री

संभावित अपूर्ण रहने वाले कार्य- वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारंभ परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में प्रगतिरत रहने वाले संभावित कार्य

ग्राम जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत जिला

(गाइडलाइन के वर्क प्रोजेक्शन प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 4 की जानकारी हेतु)

क्रमांक	श्रेणीवार कार्य के नाम	स्वीकृत लागत	मूल्यांकित व्यय राशि	स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार मानव दिवस संख्या	वास्तविक सृजित मानव दिवस संख्या	कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले प्राक्कलित मानव दिवस संख्या	कार्य 31 मार्च 2013 के पूर्व पूर्ण किया जाकर सी.सी. जारी की संभावना है या नहीं	क्र.-8 के अनुसार कार्य पूर्ण होना संभावित मानव नहीं होने पर प्राक्कलित मानव दिवस	मजदूरी दर रु. 132/- के मान से कुल मजदूरी	क्र.-8 अनुसार कार्य को पूर्ण करने हेतु सामग्री दर की राशि (अर्द्धकुशल/कुशल व सामग्री)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

ग्राम रोजगार सहायक

सचिव ग्राम पंचायत

उपयंत्री

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के अनुमत कार्यों को शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना

नवीन प्रस्तावित कार्य- वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु

ग्राम जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत जिला

(गाइडलाइन के वर्क प्रोजेक्शन प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 5 की जानकारी हेतु)

क्रमांक	भूमि का स्वामित्व	खसरा नंबर	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि का प्रकार (सार्वजनिक या निजी हितग्राही)	भौतिक विवरण (7)			वित्तीय विवरण, प्राक्कलित लागत (राशि रु. लाख में) (8)	
						कार्य की प्राक्कलित मात्रा (क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/कि.मी.)	प्राक्कलित मानव दिवस संख्या	संभावित लाभ	अकुशल मजदूरी मद में	सामग्री मद में
1	2	3	4	5	6	7(i)	7(ii)	7(iii)	8(i)	8(ii)
1										
2										
3										
4										
5										

ग्राम रोजगार सहायक

सचिव ग्राम पंचायत

उपयंत्री

एनआरईजीए पोर्टल (<http://nrega.nic.in>) पर लेबर बजट के बर्क प्रोजेक्शन का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लेबर बजट हेतु ग्राम पंचायत स्तर के कार्यों का विवरण (बर्क प्रोजेक्शन)

रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक कार्य योजना (शेल्फ ऑफ बर्क) अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्यों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्व के कार्यों की संख्या जो दिनांक 1.4.2012 तक अपूर्ण कार्य।	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ किये गये नवीन कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2012-13 से आगामी वित्तीय वर्ष में प्रगतिरत रहने वाले संभावित कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नवीन कार्यों की संख्या	लाभान्वित कार्य क्षेत्र (इकाई में)	कॉलन न. 4 तथा 5 में उल्लेखित कार्यों से सृजित होने वाले संभावित मानवदिवस	अनुमानित लागत (रु. लाख)	
							अकुशल मजदूरी भुगतान	अर्धकुशल, कुशल सहित सामग्री पर संभावित व्यय
Shelf of works Through Which Employment to be Provided	Total No. of Spill over Works From Previous year	Total No. of New Works Taken up in Current Year	No. of Works Likely to Spill Over From Current Financial Year to Next financial	No. Of New Works Proposed for next financial year	Benefit to be Created (Unit)	Persondays To be Generated	Estimated Cost (RS. In Lakhs)	
							On Unskilled Wage	On Material Including Skilled and Semiskilled Wages
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra	0	0	0	0	0	0	0	0
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र					No.			
Coastal Areas	0	0	0	0	0	0	0	0
कास्टल एरिया (मध्य प्रदेश में लागू नहीं है)								
Rural Drinking Water	0	0	0	0	0	0	0	0
ग्रामीण पेयजल								
Fisheries	0	0	0	0	0	0	0	0
मछली पालन								
Rural Sanitation	0	0	0	0	0	0	0	0
ग्रामीण स्वाच्छता								

[Submit & Enter New Works](#)

प्रत्येक श्रेणी में लिये जाने वाले कार्यों के नाम तथा संबंधित उपयोजनाओं की जानकारी, कार्य की क्षेत्रफल ईकाई का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बर्क प्रोजेक्शन का प्रारूप भरने के लिये सामान्य निर्देश

कार्यों की श्रेणी का चयन कार्य की प्रगति के आधार पर किया जाना होगा। प्रत्येक श्रेणी अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न

कॉलम न. 2 में वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्व के समस्त कार्य जो दिनांक 1.4.2004 तक अपूर्ण थे उनकी संख्या दर्ज करना है।

एनआरईजीए पोर्टल (<http://nrega.nic.in>) पर लेबर बजट के बर्क प्रोजेक्शन का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लेबर बजट हेतु ग्राम पंचायत स्तर के कार्यों का विवरण (बर्क प्रोजेक्शन)

रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक कार्य योजना (शेल्फ ऑफ बर्क) अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्यों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्व के कार्यों की संख्या जो दिनांक 1.4.2012 तक अपूर्ण कार्य।	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ किये गये नवीन कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2012-13 से आगामी वित्तीय वर्ष में प्रगतिरत रहने वाले संभावित कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नवीन कार्यों की संख्या	लाभान्वित कार्य क्षेत्र (इकाई में)	कॉलन न. 4 तथा 5 में उल्लेखित कार्यों से सृजित होने वाले संभावित मानवदिवस	अनुमानित लागत (रु. लाख)	
							अकुशल मजदूरी भुगतान	अर्धकुशल, कुशल सहित सामग्री पर संभावित व्यय
Shelf of works Through Which Employment to be Provided	Total No. of Spill over Works From Previous year	Total No. of New Works Taken up in Current Year	No. of Works Likely to Spill Over From Current Financial Year to Next financial	No. Of New Works Proposed for next financial year	Benefit to be Created (Unit)	Persondays To be Generated	Estimated Cost (RS. In Lakhs)	
							On Unskilled Wage	On Material Including Skilled and Semiskilled Wages
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कॉलम न. 3 में वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत एवं दिनांक 1.4.2012 से दिनांक 31.3.2013 तक प्रारम्भ किये गये समस्त कार्यों की संख्या दर्ज करना है।

कॉलम न. 4 में वित्तीय वर्ष 2012-13 तक समस्त अपूर्ण कार्य जो दिनांक 31.3.2013 तक जिन कार्यों के अपूर्ण रहने की संभावना है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रगतिरत अथवा पूर्ण होने की संभावना है उन कार्यों की संख्या को दर्ज करना है।

कॉलम न. 5 में वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नवीन कार्यों की संख्या को दर्ज करना है।

कॉलम न. 6 में वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्य योजना (कॉलम न. 4 एवं कॉलन न. 5 के कार्यों) किये जाने वाले कार्यों से होने वाली प्रगति का यूनिट श्रेणीवार/कार्यवार दर्ज करना है।

कॉलम न. 7 में वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्य योजना (कॉलम न. 4 एवं कॉलन न. 5 के कार्यों) किये जाने वाले कार्यों से सृजित होने वाले संभावित मानव दिवस की गणना कर दर्ज करना है।

कॉलम न. 8 में वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्य योजनानुसार सृजित मानव दिवस (कॉलम न. 7 अनुसार) प्रति मानव दिवस मजदूरी की प्रचलित न्यूनतम दर रु. 132 के मान से गणना कर दर्ज करना है।

कॉलम न. 9 में वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्य योजनानुसार लिये जाने वाले कार्यों की कुल लागत में से मजदूरी की लागत कम कर गणनानुसार कार्य की श्रेणीवार लिये जाने वाले कार्यों के प्राक्कलन अनुसार राशि दर्ज करना है। कॉलन न. 9 में वार्षिक कार्य याजनानुसार प्रत्येक कार्य श्रेणी में विगत वर्षों के कार्य जो वित्तीय वर्ष 2013-14 निरन्तर रहने की संभावना है तथा नवीन लिये जाने वाले कार्यों पर होने वाले अर्धकुशल, कुशल व सामग्री पर होने वाले समस्त व्यय को दर्ज करना है। उक्त व्यय प्रत्येक श्रेणी 60:40 के अनुसार गणना कर दर्ज नहीं करना आपितु प्रत्येक श्रेणी में सामग्री मद पर होने वाले वास्तविक व्यय को दर्ज करना है। वित्तीय वर्ष 2013-14 की कार्य योजनानुसार समस्त श्रेणियों में दर्ज मजदूरी व सामग्री की लागत का अनुपात 60:40 होना अनिवार्य है।

नोट – उपरोक्त प्रारूप में कॉलम न. 5 अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नवीन कार्यों के तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण भरने के लिये **नवीन कार्य बटन (सबमिट एवं इन्टर न्यू बर्क बटन)** को उपयोग करें।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विस्तृत मानदंड

क्र.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत		
									मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
1			1. जल संरक्षण एवं								अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1a			जल एकत्रीकरण	कन्टीन्युअस कंटूर ट्रेचें जे / फराजे, स्टैगर्ड ट्रेच, बाक्स ट्रेच शैलपर्ण (Continuous contour trenches/furrows, Staggered trenches, Box trenches)	वैयक्तिक भूमि (पीएल)घनमीटर मिट्टी कार्य		... घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1b				संकन तालाब (Sunken Ponds)	पीएलघनमीटर मिट्टी कार्य	घनमी भण्डारण क्षमता का सृजन होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1c				गली प्लग्स (Gully Plugs)	भूमि विकास के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि/ वै. भूमिघनमीटर मिट्टी कार्य		खेती के अंतर्गत.... हेक्टे. क्षेत्रफल आएगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1d				बोल्डर चेक (Boulder Check)	भूमि विकास के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि/ वै. भूमिघन मीटर सूखा पत्थर राजगीरी	हेक्टेयर क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1e				गेबियन स्ट्रक्चर्स (Gabian Structures)	पीएल	...गेबियन के साथ.... घन मीटर सूखा पत्थर राजगीरी	हेक्टेयर क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1f				जलाशय, तालाब, रिसाव टैंक आदि(Ponds, Tanks, Percolation Tanks etc.)	पीएलघन मीटर मिट्टी कार्य	घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1g				भूमिगत बांध(Underground Dyke)	पीएलघन मीटर मिट्टी कार्य		...हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं जनवरी से मार्च
1h				मिट्टी बाँध (Earthen Dam)	पीएलघन मीटर मिट्टी कार्य	घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1i				स्प्रिंग शेड विकास क) स्टैगर्ड ट्रेचे जे ख) पौधरोपण (Springs Shed Development A. Staggered Trenches B. Plantation)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल एवं आईएल	मिट्टी कार्य ख) लगाए गए पौधों की संख्या	हेक्टेयर क्षेत्रफल का विकास होगा			अप्रैल से मार्च

क्र.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत		
									मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
1j				चैक बांध, एनीकट, रोक बांध (Check Dam, Anicut, Stop Dam)	पीएलघन मीटर राजगीरी कार्य	घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा और.... हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1k				सैंड फिल्टर के जरिए कुओ को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करना (Artificial Recharge of well through Sand Filter)	सिंचाई सुविधा के अंतर्गत पीएल और आईएल	फिल्टर के साथ गड्ढे का..... घन मीटर आकार		कुएँ को... घन मीटर अपवाह जल से रिचार्ज करेगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
2			2. वनरोपण और वृक्षा रोपण सहित सूखारोधन	नर्सरी में बढ़ोतरी (Nursery Raising)	पौधरोपण के अंतर्गत पीएल और आईएल	वृद्धि किए गए बाल वृक्षों (सैपलिंग की संख्या)	संख्या में पौधों का उत्पादन होगा			जून से अक्टूबर
2a				वन का ईको-रेस्टोरेशन (Eco restoration of Forest)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।		हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।			जून से अक्टूबर
2b				वनरोपण वनरोपण के अंतर्गत घटिया वन और बंजर भूमि को कवर करना (Aforestation - To cover degraded forest & Barran land under afforestation)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।		हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।			जून से अक्टूबर
2c				चरागाह विकास तथा वन चरागाह(Grass Land Development & Silvi Pasture)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।		हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।			जून से अक्टूबर
2d				सड़क/नहर किनारे पौधारोपण हरियाली (Road/ Canal Side Plantation)	पीएलसं.में. पौधारोपण किया गया है तथाकिमी कवर किया गया है।	किमी सड़क/नहर का संरक्षण होगा।			जून से अक्टूबर
2e				ब्लाक पौधरोपण वन्या, रेशम (Block Plantation)	पीएलहेक्टे. क्षेत्रफल में लगाये गये पौधों की संख्या	हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।			जून से अक्टूबर

क्र.सं.	भूमि का स्वामित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत		
									मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
3			3 माइक्रो एवं लघु सिंचाई सहित सिंचाई नहरें								
3a			क. सिंचाई नहरें	नहरों का निर्माण, वितरणिका तथा लघु नहरें (Construction of Canal Distributory & minor)	पीएलघन मीटर मिट्टी कार्य तथा ...किमी लम्बाई का निर्माण		कमांड के अंतर्गतहेक्टे. क्षेत्रफल आएगा			अप्रैल से मई, अक्टूबर से मार्च
3b				नहरों की लाइनिंग (Lining of Canals)	पीएलघन मीटर लाइनिंग तथा कवर की गई..... किमी. लम्बाई	हेक्टे. अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल का सृजन होगा			अप्रैल से मई, अक्टूबर से मार्च
3c				लघु एवं उप लघु नहरों का पुनर्वास (Rehabilitation of Minors, Sub Minors)	पीएलघन मीटर मिट्टी कार्य/राजगिरी तथा कवर की गईकिमी. लम्बाई	हेक्टे. अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल का सृजन होगा			अप्रैल से मई, अक्टूबर से मार्च
3d			ख- लघु सिंचाई कार्य	सिंचाई के लिए सामुदायिक कुएं (Community Well for irrigation)	पीएलमी. व्यास औरमी. गहराई तथा घनमीटर लाइनिंग	हेक्टे. क्षेत्रफल की सिंचाई होगी			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
3e				लिफ्ट सिंचाई (Lift Irrigation)	पीएलघनमीटर राजगिरी कार्य	हेक्टे. क्षेत्रफल की सिंचाई होगी			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4			4. सिंचाई सुविधा								
			बागवानी पौध रोपण तथा वैयक्तिक								
4a			भूमि आईएल पर भूमि विकास सिंचाई सुविधा का प्रावधान	जल मार्गों (वाटर कोर्सेस)/फील्ड चैनल का निर्माण, सहस्त्रधारा(Construction Water Courses/Field Chhanel)	आईएलवर्गमी कास सेक्शन तथा..... किमी. लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4b				जल मार्गों/फील्ड चैनल की लाइनिंग (Lining of Water Courses/Field Chhannels)	आईएलवर्गमी कास सेक्शन तथा..... किमी. लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं सितम्बर से मार्च
4c				कुए की खुदाई / कपिलधारा कूप (Dug Well)	आईएल	..मी. आकार तथा ..मी गहराई और घ.मी. लाइनिंग	हेक्टे. क्षेत्रफल की सिंचाई होगी।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च

क्र.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत		
									मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
4d				खेत में तालाब/डिग्गी/ टैंक बनाना(Dug Out Farm Pond/Diggi/ Tanka)	आईएल	...घनमी. मिट्टी कार्य/राजगिरी	घ.मी. जल भण्डारण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
			बागवानी पौधरोपण								
4e				बागवानी पौधरोपण नंदन फलोद्यान (Horticulture Plantation)	आईएल	पौधो की संख्या तथा .हेक्टे. क्षेत्रफल में	हेक्टे. क्षेत्रफल में पौध रोपण किया जा रहा है			जून से सितम्बर
			पौध रोपण								
4f				बाउन्ड्री पौधरोपण (Boundary Plantation)	आईएल	पौधो की संख्या तथा मी. में लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।			जून से सितम्बर
4g				ब्लॉक पौधरोपण /निर्मल वाटिका (Block Plantation)	आईएल	पौधो की संख्यातथाहेक्टे. क्षेत्रफल में	हेक्टे. क्षेत्रफल कवर होगा।			जून से सितम्बर
4h				ढांचा (भूमि विकास और शहतूत पौधरोपण) (Sericulture (Land Development & mulberry Plantation))	भूमि विकास और पौधरोपण के अंतर्गत आईएल	पौधो की संख्यातथाहेक्टे. क्षेत्रफल में	हेक्टे. क्षेत्रफल विकास होगा।			अप्रैल से मई एवं जुलाई से दिसम्बर
			भूमि विकास								
4i				कन्टूर/ग्रेडेड बांध/खेत बांध का निर्माण, भूमि शिल्प (Construction of Contour/Graded Bund/Farm Bunding)	आईएल	...वर्गमी औसत सीएस एवं ...मी लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं नवम्बर से मार्च
4j				भूमि समतलीकरण ओर शैपिंग, (Land Levelling & Shapping)	आईएल	...घनमी मिट्टी कटाई और हेक्टे. क्षेत्रफल का लेबल किया गया।	हेक्टे. क्षेत्रफल का लेबल किया जाएगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4k				लवणीय/क्षारीय भूमि सुधार(Reclamation Of Saline/ Alkaline Land)	आईएलहेक्टे. क्षेत्रफल	हेक्टे. क्षेत्रफल का सुधार होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4l				निकास (ड्रेनेज) मार्गों का निर्माणConstruction of Drainage Chhannels)	आईएलवर्ग मी. औसम सीएस तथा . ..मी. लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल का लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4m				निकटतम तालाब से गाद की ढुलाई करके बंजर भूमि पर मृदा को कवर करना (Soil Cover on Waste Land by Transporting Slit from nearby tank)	आईएलघन मी. मृदा तथा ...हेक्टे. क्षेत्रफल में		उत्पादन में प्रतिशत की वृद्धि			अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च

क्र.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत		
									मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
4n				बंजर भूमि/फेलो भूमि का विकास (Development of waste fallow land)	आईएलघन मी. मृदा तथा ...हेक्टे. क्षेत्रफल में	हेक्टे. क्षेत्रफल खेती के अंतर्गत कवर होगा			अप्रैल से मई एवं सितम्बर से मार्च
5			5. तालाबों से गाद निकालने सहित पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण								
5a			जलाशयों, तालाबों तथा तलेयों ओर अन्य पारम्परिक जल निकायों से गाद निकालन(Desilting of tanks, Talab & Ponds & other Traditional water bodies)	पीएल	...घनमी मिट्टी कार्य		...घनमी भण्डारण क्षमता में वृद्धि				अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च
5b			जलाशयों, तालाबों तथा तलेयों, चके बांध, एस्केप, वीयर्स और नियंत्रण डांचों की मरम्मत, नवीकरण तथा जीर्णोद्धार(Repair, Renovation & Restoration of Tank, Talab, Ponds, Check Dam, Escape, Weirs & Control Structures)	पीएल	तकनीकी अनुमान/स्वीकृति के अनुसार		हेक्टू. अतिरिक्त क्षेत्रफल की सिंचाई होगी।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
6			6. भूमि विकास								
6a			वृक्षारोपण/वन चरागाह जैसे उत्पादन उपायों के लिए लवण प्रभावित भूमि का सुधार(Reclamation of salt affected land for production measures like tree plantation/Silvi pasture Development of waste land)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएल	शुरू की गई गतिविधि का परिमाण		..हेक्टे. क्षेत्रफल उत्पादन के अंतर्गत होगा।				जून से सितम्बर
6b			बंजर भूमि का विकास, ग्रामीण क्रीड़ांगण शांतिधाम व कामधेनु।	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएल	शुरू की गई गतिविधि का परिमाण		..हेक्टे. क्षेत्रफल उत्पादन के अंतर्गत होगा।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7			7.बाढ नियंत्रण								
7a			विपथन मार्ग (Diversion Channel)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएल	...घनमी मिट्टी कार्य तथा ... किमी लम्बाई		...हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7b			विपथन वीयर (Diversion Weir)	पीएल	..घनमी राजगिरी		...हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7c			पेरीफेरल/क्रास बांध (Peripheral/ Cross Bund)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएलघनमी मिट्टी कार्य तथा . किमी लम्बाई		...हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च

क्र.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत		
									मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
7d				जल भराव क्षेत्र में निकास मार्ग (Drainage in water logged areas)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएलघनमी मिट्टी कार्य तथा . किमी लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7e				बाढ़ चैनल (मार्गों) की मरम्मत तथा गहरा करना (Deepning & Repair of flood Channels)							
7f				चौर नवीकरण (Chaur Renovation)	पीएल	खोदी गईघन मी मिट्टी तथामी. तटबंध की लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7g				समुद्र तटीय क्षेत्र के संरक्षण हेतु स्टोर्म वाटर नालों का निर्माण (Construction of Storm water Drains for Coastal Protection)	पीएलघनमी. मिट्टी कार्य/.....घनमी. आर. आर. राजगिरी तथा ..मी. लम्बाई	हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7h				मध्यम एवं सम्पर्क नालों का निर्माण (Construction of intermediate & link drains)	पीएल		हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7i				टोकरों (स्पर्स) और प्रचंड प्रवाह नियुत्रण उपाय तटबंधों को सुदृढ करना (Spurs & Torrent Control Measures Strenthening of Embankment)	पीएल	...घनमी. मिट्टी कार्य तथा ... घन मी. मुरम व किमी. लम्बाई		...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
8			8. ग्रामीण								
8a			सडक सम्पर्कता	मिट्टी मुरम रोड/नर्मदा पथ निर्माण (Mitti Murram Road)	पीएल	..घनमी. मिट्टी का कार्य तथा ... घनमी. मुरम व किमी लम्बाई		...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
8b				गिट्टी पथरी (ग्रेवल) रोड (Gravel Road)	पीएल	..घनमी. मिट्टी का कार्य व ... घनमी. पथरी व किमी लम्बाई		...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं सितम्बर से मार्च
8c				डब्ल्यूबीएम रोड (WBM Road)	पीएल	..घनमी. मिट्टी का कार्य व ... घनमी. पथरी व किमी लम्बाई		...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं सितम्बर से मार्च
8d				सी.सी. रोड, पंच परमेश्वर के अभिसरण से आंतरिक मार्ग (C.C. Road)	पीएल	..घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. सीमेन्ट कांकीट तथा वर्ग मी. ब्लाक क्षेत्र व किमी लम्बाई		...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			जुलाई से मार्च

क्र.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन	
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत			
									मजदूरी पर	सामग्री पर		
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9	
8e				इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट ब्लॉक रोड (Interlocking Cement Block Road)	पीएल	..घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. सीमेन्ट कांकीट तथा वर्ग मी. ब्लॉक क्षेत्र व किमी लम्बाई			...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			
8f				ईंट खडंजा (Brick Kharanja)	पीएल	..घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. ईंट क्षेत्र तथा किमी. लंबाई			...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च
8g				पत्थर का खडंजा (Stone Kharanja)	पीएल	..घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. सीमेंट कांकीट तथा वर्ग मीटर पथरीला क्षेत्र तथा किमी. लंबाई			...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च
8h				क्रॉस ड्रेनेज (Cross Drainage)	पीएल	अनुमान के आधार पर			...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
9			9.									
9a			बीएनआरजीए सके	नवीन निर्माण (New Construction)	पीएल	निर्मितवर्ग मी. कुर्सी क्षेत्र			...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च
9b				पंचायत भवन का विस्तार (Extension of Panchayat Bhawan)	पीएल	...वर्गमी. विस्तारित कुर्सी क्षेत्र			...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च
10			10. कृषि से संबंधित कार्य									
10a				नाडेप कम्पोस्टिंग (Nadep Composting)	आईएलघनमी आकार			प्रतिवर्ष ...टन खाद का उत्पादन होगा।			अप्रैल से मार्च
10b				वर्मी कम्पोस्टिंग (Vermi Composting)	आईएलघनमी आकार			प्रतिवर्ष ...टन खाद का उत्पादन होगा।			अप्रैल से मार्च
10c				तरल जैव खाद संजीवक और अमृत पानी (Liquid Bio Manures, Sanjeevak or Amrit Pani)	आईएलघनमी आकार			.लीटर खाद का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा।			अप्रैल से मार्च
11			11. पशुधन संबंधी कार्य									
11a				मुर्गी आश्रय (Poultry Shelter)	आईएल	..वर्गमी क्षेत्रफल		सं. में पक्षियों को रखा जाएगा।			अप्रैल से मार्च

क.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत		
									मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
16a			ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित	अनुमोदित होने पर ईकाईयों को निर्दिष्ट किया जाएगा (Units to be Specified when approved)							

waterconservnew x
 164.100.112.65/netnrega/Waterconservnew.aspx
 This page is in Hindi Would you like to translate it? Translate Nope Options

Govt. of India
 Ministry of Rural Development
 Department of Rural Development
 27-Sep-2012

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

जल संरक्षण [Back](#) [Home](#)

राज्य : MADHYA PRADESH जिला : SATNA पंचायत : AHIRGAON

* द्वारा चिह्नित स्थान

वित्तीय साल * 2012-2013	प्राथमिकता	प्रस्ताव की तारीख	--Select-- Anicut Artificial Recharge of Well Through Sand Filter Boulder Check Box Trenches Check Dam Continuous Contour Trench Contour Bunds Earthen Bunding Earthen Gully Plug Earthen Dam Farm Pond Feeder Channel Gabions Loose Boulder Structure Mini Percolation tank Staggered Trench Stone Bund Stop Dam Sub Surface Dam --Select--
कार्य का नाम *		जल निकास का न	
जल निकास की किस्म * --Select--		जल क्षेत्र क्यूबिक	
गांव * --Select--			
खाता संख्या		प्लॉट संख्या	
Longitude		Latitude	
स्रोत * --Select--			
वर्तमान स्थिति * --Select--		अंतिम स्थिति *	--Select--
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंसी *	--Select--
कार्य की स्थिति * --select--		कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *	DD/MM/YYYY
क्या वार्षिक योजना में शामिल है <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		क्या संदर्भ योजना में शामिल है <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Sanctioned Work Code (if any)			
कार्य-संहिता *	1712006039/WC/ 9993625783		

Save

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

[Back](#) [Home](#)

कार्य-संहिता : 1712006039/RC/22012034154614

तकनीकी स्वीकृति विवरण भरें

तकनीकी स्वीकृत क्रमांक	<input type="text"/>	तकनीकी स्वीकृत दिनांक	<input type="text"/>
कार्यपुर्ण का अनुमानित समय	<input type="text"/> (in Months)	प्रतिदिवस आवश्यक औसत मजदूर	<input type="text"/>
प्रस्तावित श्रमदिवस	<input type="text"/> (In Thousand)	तकनीकी मंजूरी की राशि	<input type="text"/> (in Lakhs)

तकनीकी विवरण के अनुसार अनुमानित लागत

अकुशल श्रम	सामग्री				कुल
	NREGA	BRGF	Scheme 2	Scheme 3	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति विवरण भरें (In Lakhs)

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक	<input type="text"/>	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक	<input type="text"/>
वित्तीय स्वीकृति की राशि	NREGA <input type="text" value="0"/>	BRGF <input type="text" value="0"/>	Scheme 2 <input type="text" value="0"/>
		Scheme 3 <input type="text" value="0"/>	कुल <input type="text" value="0"/>

There is 60:40% labour material ratio violation at Gram Panchayat on sanction amount
There is 60:40% labour material ratio violation at District on sanction amount

* द्वारा चिह्नित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता	<input type="checkbox"/>	प्रस्ताव की तारीख *	<input type="text"/> DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *	<input type="text"/>	जल निकाय का नाम *	<input type="text"/>		
जल निकाय की किस्म *	--Select--	जल क्षेत्र क्यूबिक मीटर में *	<input type="text"/>		
गांव *	--Select--				
खाता संख्या	<input type="text"/>	प्लॉट संख्या	<input type="text"/>		
Longitude	<input type="text"/>	Latitude	<input type="text"/>		
स्रोत *	--Select--				
वर्तमान स्थिति *	--Select--	अंतिम स्थिति *	--Select--		
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंसी *	--Select--		
कार्य की स्थिति *	--select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *	<input type="text"/> DD/MM/YYYY		
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No				
Is it a convergence work (Other than MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No				
Sanctioned Work Code (if any)	<input type="text"/>				
कार्य-संहिता *	1712006039/WC/ 9993625783				
<input type="button" value="Save"/>					

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

जल संरक्षण
 राज्य : MADHYA PRADESH जिला : SATNA पंचायत : AHIRGAON

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता	<input type="text"/>	प्रस्ताव की तारीख	<input type="text"/>
कार्य का नाम *	<input type="text"/>	जल निकाय का प्रकार	<input type="text"/>	जल क्षेत्र क्यूबिक	<input type="text"/>
जल निकाय की किस्म *	--Select--	गांव *	--Select--	प्लान संख्या	<input type="text"/>
खाता संख्या	<input type="text"/>	Longitude	<input type="text"/>	Latitude	<input type="text"/>
स्रोत *	--Select--	वर्तमान स्थिति *	--Select--	अंतिम स्थिति *	--Select--
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंसी *	--Select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *	<input type="text"/> DD/MM/YYYY
कार्य की स्थिति *	--select--	क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Sanctioned Work Code (if any)	<input type="text"/>				
कार्य-संहिता *	1712006039/WC/ 9993625783				
<input type="button" value="Save"/>					

- Select--
- Anicut
- Artificial Recharge of Well Through Sand Filter
- Boulder Check
- Box Trenches
- Check Dam
- Continuous Contour Trench
- Contour Bunds
- Earthen Bunding
- Earthen Gully Plug
- Earthen Dam
- Farm Pond
- Feeder Channel
- Gabions
- Loose Boulder Structure
- Mini Percolation tank
- Staggered Trench
- Stone Bund
- Stop Dam
- Sub Surface Dam
- Select--

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Renovation of Traditional Water Bodies Back Home

राज्य : MADHYA PRADESH जिला :SATNA ब्लॉक :AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिह्नित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल * 2012-2013	प्राथमिकता <input type="checkbox"/>	प्रस्ताव की तारीख * DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *		जल निकाय का नाम *
जल निकाय की किस्म * --Select--		जल क्षेत्र क्यूबिक मीटर में *
गांव * --Select--		
खाता संख्या		प्लॉट संख्या
Longitude		Latitude
स्रोत * --Select--		
वर्तमान स्थिति * --Select--		अंतिम स्थिति * --Select--
कार्य-निष्पादन स्तर* : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन ए
कार्य की स्थिति * --select--		कार्य शुरू करने के
क्या वाारिक योजना में शामिल है <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		क्या संदर्श योजना म शामिल ह <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
Sanctioned Work Code (if any)		
कार्य-संहित *	1712006039/WH/	19952205
Save		

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

सूखा रोधन Back Home

राज्य : MADHYA PRADESH जिला :SATNA ब्लॉक :AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता	<input type="checkbox"/>	प्रस्ताव की तारीख *	<input type="text"/> DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *	<input type="text"/>	कार्य की किस्त *	--select worktype -- --select worktype -- Afforestation Forest Protection Land Development Plantation Seedling Others		
गांव *	--Select--	खाता संख्या	<input type="text"/>	प्लॉट संख्या	<input type="text"/>
क्षेत्रफल हेक्टेयर	<input type="text"/>	Longitude	<input type="text"/>	Latitude	<input type="text"/>
वर्तमान स्थिति *	<input type="text"/>	प्रस्तावित स्थिति	<input type="text"/>		
कार्य-निष्पादन स्तर* : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंसी*	--Select--		
कार्य की स्थिति *	--select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *	<input type="text"/> DD/MM/YYYY		
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Sanctioned Work Code (if any)	<input type="text"/>				
कार्य-संहिता *	1712006039/DP/ 9926693782				
<input type="button" value="Save"/>					

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Renovation of Traditional Water Bodies [Back](#) [Home](#)

राज्य : MADHYA PRADESH जिला :SATNA ब्लॉक :AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक है

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *		DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *		जल निकाय का नाम *		जल क्षेत्र क्यूबिक मीटर में *		
जल निकाय की किस्म *	--Select--	गांव *	--Select--	खता संख्या		प्लॉट संख्या
	<ul style="list-style-type: none"> Check Dam Check wall Continuous Contour Trench Farm Pond Feeder Channel Mini Percolation tank Percolation Tank Sub Surface Dam Others 	Longitude		Latitude		
स्रोत *	--Select--	वर्तमान स्थिति *	--Sele	अंतिम स्थिति *	--Select--	
कार्य-निष्पादन स्तर *	ग्राम पंचायत	कार्य-निष्पादन एजेंसी *	--Select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *		DD/MM/YYYY
कार्य की स्थिति *	--select--	क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No			
Sanctioned Work Code (if any)						
कार्य-संहिता *	1712006039/WH/	19952205				
Save						

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Irrigation Facilities To SC/ST/AY/LR

Back Home

राज्य : MADHYA PRADESH जिला : SATNA ब्लॉक : AMARPATAN पंचायत : AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *	DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *		लाभग्राही के प्रकार *	--select Ben--		
गांव *	--Select--	पंजीकरण पहचान पत्र	--SelectRegId--		
खाता संख्या		प्लॉट संख्या		क्षेत्रफल हेक्टेयर में *	
Longitude		Latitude			
वर्तमान स्थिति *	--Select--	प्रस्तावित स्थिति *	--Select--		
कार्य-निष्पादन स्तर* : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंडा			
कार्य की स्थिति *	--select--	कार्य शुरू करने की प्र			
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में			
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes				
Is it a convergence work (Other than MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes				
Sanctioned Work Code (if any)					
कार्य-संहिता *	1712006039/IF/100				

- Peripheral Bunding
- Boundary Plantation
- Construction of Contour
- Construction of Drainage Channels
- Construction of Farm Bunding
- Construction of Graded Bund
- Construction of Water Courses/Field Channel
- Development of Waste/Fallow Land
- Farm Pond
- Horticulture
- Land Development
- Land Leveling and Shaping
- Lining of Water Courses/Field Channel
- Reclamation of Saline/Alkaline Land
- Soil Cover on Waste Land
- Well
- Reclamation of Land
- Individual Household Latrines
- Contour Bunds
- Earthen Gully Plug

Save

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Irrigation Facilities To SC/ST/IAY/LR [Back](#) [Home](#)

राज्य : MADHYA PRADESH जिला :SATNA ब्लॉक :AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल * 2012-2013	प्राथमिकता	प्रस्ताव की तारीख * DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *		लाभग्राही के प्रकार * --select Ben--
गांव * --Select--	पंजीकरण पहचान पत्र --SelectRegId--	
खाता संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में *
Longitude		Latitude
वर्तमान स्थिति * --Select--		प्रस्तावित स्थिति * --Select--
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंस
कार्य की स्थिति * --select--		कार्य शुरू करने की प्र
क्या वार्षिक योजना में शामिल है <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		क्या संदर्श योजना में
Will this work Spill to next year <input type="radio"/> Yes		
Is it a convergence work (Other then MGNREGA) <input type="radio"/> Yes		
Sanctioned Work Code (if any)		
कार्य-संहिता *	1712006039/IF/ 100	
	<input type="button" value="Save"/>	

- Select--
- Peripheral Bunding
- Boundary Plantation
- Construction of Contour
- Construction of Drainage Channels
- Construction of Farm Bunding
- Construction of Graded Bund
- Construction of Water Courses/Field Channel
- Development of Waste/Fallow Land
- Farm Pond
- Horticulture
- Land Development
- Land Leveling and Shaping
- Lining of Water Courses/Field Channel
- Reclamation of Saline/Alkaline Land
- Soil Cover on Waste Land
- Well
- Reclamation of Land
- Individual Household Latrines
- Contour Bunds
- Earthen Gully Plug

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Land development Back Home

राज्य : MADHYA PRADESH		जिला :SATNA		ब्लॉक :AMARPATAN		पंचायत :AHIRGAON	
वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *	DD/MM/YYYY		
कार्य का नाम *		कार्य की किस्त *	--Select--				
गांव *	--Select--						
खाता संख्या		प्लॉट संख्या		क्षेत्रफल हेक्टेयर			
Longitude		Latitude					
वर्तमान स्थिति *		प्रस्तावित स्थिति					
कार्य-निष्पादन स्तर* : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन ए					
कार्य की स्थिति *	--select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *	DD/MM/YYYY				
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No				
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No						
Is it a convergence work (Other than MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No						
Sanctioned Work Code (if any)							
कार्य-संहिता *	1712006039/LD/	3799381999					
Save							

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Flood Control Back Home

राज्य : MADHYA PRADESH जिला : SATNA ब्लॉक : AMARPATAN पंचायत : AHIRGAON

* द्वारा चिह्नित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल * 2012-2013	प्राथमिकता	प्रस्ताव की तारीख * DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *		वाटर चैनल का नाम *
वाटर चैनल की किस्म * --Select--		वाटर चैनल का विवरण *
गांव * --Select--		
खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कवर की गई कुल दूर(कि.मी.) *
Longitude		Latitude
Present Status * --Select--		Proposed Status * --Select--
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंडा
कार्य की स्थिति * --select--		कार्य शुरू करने की तिथि
क्या वार्षिक योजना में शामिल है <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		क्या संदर्श योजना
Will this work Spill to next year <input type="radio"/> Yes		Deepening and Repair of Flood Channels
Is it a convergence work (Other then MGNREGA) <input type="radio"/> Yes		Desilting
		Diversion Channel
		Diversion weir
		Drainage in Water Logged Areas
		Peripheral Bunding
		Spurs and Torrent Control Measures
		Strengthening of Embankment
Sanctioned Work Code (if any)		
कार्य-संहिता *		1712006039/FP/9
Save		

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Rural Connectivity Back Home

राज्य : MADHYA PRADESH जिला :SATNA ब्लॉक :AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक है

वित्तीय साल * 2012-2013	प्राथमिकता	प्रस्ताव की तारीख * DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *	सड़क का नाम *	
प्रारंभिक अवस्थिति		
गांव * -Select-	खाता संख्या	प्लॉट संख्या
अंतिम अवस्थिति		
गांव * -Select-	खाता संख्या	प्लॉट संख्या
Longitude	Latitude	
कवर की गई कुल दूर(कि.मी.) *		
शुरू होने के समय स्थिति * -Select-	अंतिम स्थिति * -Select-	
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत	कार्य-निष्पादन ए	
कार्य की स्थिति * -select-	कार्य शुरू करने व	DD/MM/YYYY
क्या वार्षिक योजना में शामिल है Yes No	क्या संदर्श योजना	
Will this work Spill to next year	Yes	
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	Yes	
Sanctioned Work Code (if any)		
कार्य-संहिता *	1712006039/RC/	

Save

- Select--
- Select--
- Bitumen Top
- Cement concrete
- Cross Drainage
- Earthen road
- Gravel Road
- InterLocking Cement Block Road
- Kankar Road
- Kharanja(Brick/Stone)
- Metal First coat
- Metal Second coat
- Mitti Murrum Road
- Sand Moram
- Tiles
- Village Drain
- WBM

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Fisheries Related Work

[Back](#) [Home](#)

राज्य: MADHYA PRADESH जिला: SATNA ब्लॉक: AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *		DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *						
गांव *	--Select--					
खाता संख्या		प्लॉट संख्या				
Longitude		Latitude				
वर्तमान स्थिति *	--Select--	प्रस्तावित स्थिति *	--Select--			
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंडा	Excavation of Pond Fish Drying Platform			
कार्य की स्थिति *	--select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *			DD/MM/YYYY	
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No			क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Is it a convergence work (Other than MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Sanctioned Work Code (if any)						
कार्य-संहिता *	1712006039/FR/ 1					
<input type="button" value="Save"/>						

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Drinking Water Work

Back Home

राज्य: MADHYA PRADESH जिला: SATNA ब्लॉक: AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *		DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *						
गांव *	-Select-					
खाता संख्या		प्लॉट संख्या				
Longitude		Latitude				
वर्तमान स्थिति *	-Select-	प्रस्तावित स्थिति *	-Select-			
कार्य-निष्पादन स्तर* : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंडा	Recharge Pits Soak Pits			
कार्य की स्थिति *	-select-	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख *			DD/MM/YYYY	
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No			क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Sanctioned Work Code (if any)						
कार्य-संहिता *	1712006039/DW/ 3					
<input type="button" value="Save"/>						

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Rural Sanitation Work Back Home
 राज्य: MADHYA PRADESH जिला: SATNA ब्लॉक: AMARPATAN पंचायत: AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *		DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *						
गांव *	--Select--					
खाता संख्या		प्लॉट संख्या				
Longitude		Latitude				
वर्तमान स्थिति *	--Select--	प्रस्तावित स्थिति *	--Select--			
कार्य-निष्पादन स्तर *	ग्राम पंचायत	कार्य-निष्पादन एजें				
कार्य की स्थिति *	--select--	कार्य शुरू करने की तारीख		DD/MM/YYYY		
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		क्या संदर्श योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					

- Select--
- Anganwadi Toilets
- Compost Pit
- Drainage Channel
- Individual Household Latrines
- School Toilet Units
- Soakage Channel/Pit
- Stabilization Pond

Sanctioned Work Code (if any)

कार्य-संहित * 1712006039/RS/

Save

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Other Work [Back](#) [Home](#)

राज्य: MADHYA PRADESH जिला: SATNA ब्लॉक: AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *		DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *						
गांव *	--Select--					
खाता संख्या		प्लॉट संख्या		कुल दुरी (कि.मी. /क्यूबिक मी./हेक्ट.) *		
Longitude		Latitude				
वर्तमान स्थिति *				प्रस्तावित स्थिति *		
कार्य-निष्पादन स्तर* : ग्राम पंचायत				कार्य-निष्पादन एजेंसी*	--Select--	
कार्य की स्थिति * --select--				कार्य शुरू करने की प्रस्तावि	--Select--	
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No			<input type="radio"/> No		
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No			<input type="radio"/> No		
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No			<input type="radio"/> No		
Sanctioned Work Code (if any)						
कार्य-संहिता *						

- Select--
- Select--
- Agriculture
- BAIF-NGO
- CARD-NGO
- DPIP(District Poverty Initiative Programme)
- Fisheries & A.R. Deptt.
- Forest
- Gram Panchayat
- GVT-NGO
- Horticulture Department
- Labhuk Samiti
- Labhuk-Other agency
- MP Agro-Agriculture
- MPRLP
- NarmadaSamagra-NGO
- NarmdaNimitikend
- NGO
- NVDA
- other agencies
- Panna Tiger Reserved-Forest

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Other Work

[Back](#)[Home](#)

राज्य: MADHYA PRADESH

जिला: SATNA

ब्लॉक: AMARPATAN

पंचायत: AHIRGAON

* द्वारा चिह्नित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता		प्रस्ताव की तारीख *		DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *						
गांव *	--Select--					
खाता संख्या		प्लॉट संख्या		कुल दूरी (कि.मी. /व्यूबिक मी./हेक्ट.) *		
Longitude		Latitude				
वर्तमान स्थिति *				प्रस्तावित स्थिति *		
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत	कार्य-निष्पादन एजेंसी *			--Select--		
कार्य की स्थिति * --select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावि			NarmdaNimitikend NGO NVDA other agencies Panna Tiger Reserved-Forest PIA-Village Micro Plan Police department Public Work Deptt. R.D.-DPIP Rajghat-WRD Rural Engineering Services Sadguru-NGO Sanjay National Park-Forest Sericulture SHG Soil Conservation Deptt Water Resources Deptt. Water user bodies-NGO-WRD Watershed-NGO watershed-PO		
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No					
Sanctioned Work Code (if any)						
कार्य-संहिता *						

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
 Coastal Area Work [Back](#) [Home](#)

राज्य: MADHYA PRADESH जिला: SATNA ब्लॉक: AMARPATAN पंचायत : AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक है

वित्तीय साल * 2012-2013	प्राथमिकता	प्रस्ताव की तारीख * DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *		
गांव * --Select--		
खाता संख्या	प्लॉट संख्या	
Longitude	Latitude	
वर्तमान स्थिति * --Select--	प्रस्तावित स्थिति * --Select--	
कार्य-निष्पादन स्तर * : ग्राम पंचायत	कार्य-निष्पादन एजेंडा * Belt Vegetation Fish Drying Yards	
कार्य की स्थिति * --select--	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख * DD/MM/YYYY	
क्या वार्षिक योजना में शामिल है <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में शामिल है <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
Will this work Spill to next year <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Is it a convergence work (Other than MGNREGA) <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		

Sanctioned Work Code (if any)

कार्य-संहिता * 1712006039/CA/ 1

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

27-Sep-2012

Irrigation Facilities To SC/ST/IAV/LR

Back Home

राज्य : MADHYA PRADESH जिला :SATNA ब्लॉक :AMARPATAN पंचायत :AHIRGAON

* द्वारा चिन्हित स्थान भरने आवश्यक हैं

वित्तीय साल *	2012-2013	प्राथमिकता	प्रस्ताव की तारीख *	DD/MM/YYYY
कार्य का नाम *			लाभग्राही के प्रकार *	--select Ben--
गांव *	--Select--	पंजीकरण पहचान पत्र	--SelectRegId--	
खाता संख्या		प्लॉट संख्या		क्षेत्रफल हेक्टेयर में *
Longitude		Latitude		
वर्तमान स्थिति *	--Select--	प्रस्तावित स्थिति *	--Select--	
कार्य-निष्पादन स्तर* : ग्राम पंचायत		कार्य-निष्पादन एजेंडा		
कार्य की स्थिति *	--select--	कार्य शुरू करने की प्र		
क्या वार्षिक योजना में शामिल है	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	क्या संदर्श योजना में		
Will this work Spill to next year	<input type="radio"/> Yes			
Is it a convergence work (Other then MGNREGA)	<input type="radio"/> Yes			
Sanctioned Work Code (if any)				
कार्य-संहिता *	1712006039/IF/100			

- Select--
- Select--
- Belt Vegetation
- Nursery Raising
- Recharge Pits
- Soak Pits
- Deepening and Repair of Flood Channels
- Drainage in Water Logged Areas
- Peripheral Bunding
- Boundary Plantation
- Construction of Contour
- Construction of Drainage Channels
- Construction of Farm Bunding
- Construction of Graded Bund
- Construction of Water Courses/Field Channel
- Development of Waste/Fallow Land
- Farm Pond
- Horticulture
- Land Development
- Land Leveling and Shaping
- Lining of Water Courses/Field Channel

Save